

पत्रांक : 3140 / वि०पारे०खं०(सी०) / टी०-३

दिनांक:- 14.12.2023

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,

अमर उजाला  
मिर्जापुर

बन विज्ञापन व्यवस्थापक  
केन्द्र मिर्जापुर

महोदय,

कृपया सॅलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 15/16.12.2023 के अंक में कम से कम स्थान (हिन्दी भाषा के समाचारपत्रों के लिए 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट टाइप में (समाचारपत्र के केवल "एक कालम में") प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथासंभव एक ही लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियों सॅलग्न करते हुए भुगतान हेतु अनुसचिव (जनसम्पर्क) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को/अधोहस्ताक्षरी को (जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।

3. सॅलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाय। हिन्दी समाचार पत्र के लिए सॅलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाय जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनाार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।

6. विज्ञापन के अन्त में नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।

7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में परिषद द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

8. बीजक में अपना तथा अधोहस्ताक्षरता के विभाग का वस्तु एवं सेवा कर नं० अवश्यक अंकित करें तथा बीजक तिथि के एक सप्ताह के अन्दर बीजक सीधे खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायें। उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपो० लि० द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

सॅलग्नक : (1) विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।  
(2) विज्ञापन सामग्री 01 नं०।

'भवदीय'

A

पत्रांक : 3140 / वि०पारे०खं०(सी०) / टी०-३

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) अनुसचिव (जनसम्पर्क) उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (2) मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (3) अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपोरेशन लि०, शाहजहाँपुर।

सॅलग्नक:-विज्ञापन सामग्री।

दिनांक: 14.12.2023

(डी०सी० दीक्षित)  
अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत पारेषण खण्ड  
उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपो० लि०  
सीतापुर

(डी०सी० दीक्षित)  
अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत पारेषण खण्ड  
उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपो० लि०  
सीतापुर

## उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

### तिथि विस्तारण सूचना

इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित ई-निविदा संख्या-10/वि०पारे०ख०(सी)/2023-24 दिनोंक 29.12.2023 को समय अपराहन 15:00 बजे खोली जायेगी व धरोहर धनराशि तथा निविदा शुल्क पूर्व की भौति ही वेबसाइट पर दिये गये खाता सं० में दिनोंक 29.12.2023 के अपराहन 14:00 बजे तक जमा किया जा सकेगा तथा निविदा की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण तथा अद्यतन स्थिति के लिये वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) का अवलोकन करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

“राष्ट्रहित में बिजली बचायें”

अधिशायी अभियन्ता  
विद्युत पारेषण खण्ड

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपो० लि०  
220 के०वी० हाइडिल कॉलोनी, हसैनगँज  
सीतापुर, अभियन्ता  
विद्युत पारेषण खण्ड  
उ०प्र० पावर ट्रान्स० कारपो० लि०  
सीतापुर